राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

आदेशिका

दिनांक 10.02.2017 परिवाद संख्या 17/17/558

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

राजस्थान के दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर आज प्रकाशित समाचारों के अनुसार जयपुर नगर निगम द्वारा शहरवासियों द्वारा यू.डी. टैक्स, हाऊस टैक्स व बकाया लीज नहीं चुकाने वालों के सीवरेज कनेक्शन काट दिये जाएंगे। इस हेतु नगर निगम द्वारा 07 दिवस का नोटिस दिया जाएगा। तय अवधि में राशि जमा नहीं हुई तो क्षेत्रीय जमादार को सम्बन्धित प्रॉपर्टी की सीवर लाइन जाम करने के निर्देश दे दिए जाएंगे। वह तब तक नहीं खोली जाएगी, जब तक सम्बन्धित भवन मालिक टैक्स जमा नहीं करवा दें।

उपर्युक्त निर्णय अपने आप में मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है व पूर्ण संवेदनहीनता की ओर इंगित करता है।

क्या किसी स्थानीय निकाय को स्वयं की टैक्स वसूली के लिए वर्तमान युग (वर्ष 2017) में, जहां राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, किसी व्यक्ति से राशि वसूल करने के लिए उसके घर की सीवरेज लाइन बन्द करने का औचित्य है? क्या इस प्रकार की सोच व्यवहारिक हो सकती है? अगर इस पर अमल कर दिया जावे तो इसके प्रभाव का कोई आंकलन किया गया है?

उदाहरण स्वरूप - (1) **एक घर जिसमें एक व्यक्ति परिवार सहित रहता है व नगर नियमों के अनुसार शौचालय व अन्य सुविधायें बनाई हुई है, क्या उस व्यक्ति को मल-मूत्र से भरे हुए शौचालय व गन्दे पानी से भरे हुए घर में रहने की सजा दी जा सकती है।**

(2) सिर्फ सुविधा प्रदान करने का दायित्व होने के कारण से जो अत्यधिक आवश्यक सुविधा प्राप्त है उसे मात्र पैसों के कारण से इस प्रकार से वंचित किया जा सकता है?

(3) जिन सम्पत्तियों में संयुक्त परिवार हैं व कई सारे सदस्य साथ रह रहे हैं, क्या उन सबका जीवन दुभर केवल मात्र सरकारी बकाया राशि, जिसकी वसूली लम्बे समय से सरकारी

विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा नहीं कर बोझ बना दी गई एवं उसकी वसूली हेतु घर में रह रहे बीमार, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं व नाबालिग बच्चों से यह सुविधा छीनी जा सकती है ?

(4) घनी आबादी क्षेत्र में व शौचालय के पास ही में अगर पडौसी का मकान है तो क्या पडौसियों पर इसका विपरीत प्रभाव नहीं होगा ?

(5) बहुमंजिला इमारतों में निवास करने वालों पर क्या प्रभाव पडेगा।

(6) बहुमंजिला इमारतों में कुछ ही व्यक्तियों द्वारा कब्जा प्राप्त कर निवासी किया है व डिफाल्टर उस भवन में नहीं रह रहे हैं तब भवन में रहने वाले व्यक्तियों पर क्या असर होगा।

नगर निगम, जयपुर द्वारा निर्णय लेने के पूर्व क्या उक्त बिन्दुओं पर विचार किया गया।

आयोग की प्रथम दृष्ट्या राय में किसी भी व्यक्ति का किसी भी कारण से चाहे वह अन्य टैक्स या शुल्क ही क्यों नहीं या सीवरेज टैक्स ही क्यों न हो, तथा इसके साथ में अन्य कोई भी निगम की अथवा राज्य सरकार राशि की वसूली के लिए सीवरेज रोककर हथियार के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता है।

समाचार पत्र में दिये गये समाचार के अनुसार वर्तमान में नगरीय विकास कर व गृहकर के पेटे रू. 682 करोड बकाया हैं व नगर निगम इसकी वसूली करने में नाकाम हो रहा है और जबकि निगम की आर्थिक स्थिति खराब है।

अगर यह तथ्य सही है और निगम राशि की वसूली नगर निगम के अधिकारी/ कर्मचारीगणों द्वारा नहीं की गई है तो इस कारण से निगम, प्रयास के रूप में पहले निगम के तमाम अधिकारीगण व कर्मचारियों जो उक्त वसूली में शुरू से आज तक असफल रहे, के सीवरेज कनेक्शन जाम करेगा, ताकि व्यवहारिकता का पता चलकर निगम आगे कार्यवाही कर सके व सीधे आम जनता को नारकीय जीवन जीने में विवश नहीं कर सके।

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर तथा आयुक्त, नगर निगम, जयपुर को इस आदेश एवं समाचार पत्र में प्रकाशित खबर की प्रति आज ही जरिये स्पीड पोस्ट/फैक्स/दस्ती प्रेषित की जावे। प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग व आयुक्त, नगर

निगम, जयपुर दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक आवश्यक रूप से इस सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट व अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)
अध्यक्ष

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

आदेशिका

दिनांक 28.02.2017 **परिवाद संख्या 17/17/558**

समक्ष : एकलपीठ

माननीय अध्यक्ष : न्यायमूर्ति श्री प्रकाश टाटिया

राज्य आयोग द्वारा आदेश दिनांक 10.02.2017 से इस प्रकरण में प्रसंज्ञान लिया गया था। प्रसंज्ञान लिये जाने का मुख्य कारण आदेश दिनांक 10.02.2017 में निम्न प्रकार से अंकित किया गया कि **"क्या किसी स्थानीय निकाय को स्वयं की टैक्स वसूली के लिए वर्तमान युग (वर्ष 2017) में, जहां राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, किसी व्यक्ति से राशि वसूल करने के लिए उसके घर की सीवरेज लाइन बन्द करने का औचित्य है? क्या इस प्रकार की सोच व्यवहारिक हो सकती है? अगर इस पर अमल कर दिया जावे तो इसके प्रभाव का कोई आंकलन किया गया है?"**

आयोग द्वारा नगर निगम, जयपुर द्वारा विचार करने हेतु संक्षिप्त में 06 मुख्य बिन्दु आदेश दिनांक 10 फरवरी, 2017 में अंकित किये जिनका उल्लेख इस आदेश में पुनः करने की आवश्यकता नहीं है।

नगर निगम, जयपुर द्वारा ऐसा गम्भीर निर्णय इस कारण से लिया गया कि नगर निगम के नगरीय विकास कर व गृहकर के पेटे 600 करोड अथवा उससे भी अधिक राशि बकायादारों में बकाया थी। आयोग द्वारा उक्त राशि निगम द्वारा समय पर वसूल नहीं करने पर भी सख्त टिप्पणी की गई थी।

दिनांक 13.02.2017 को नगर निगम महापौर द्वारा संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी गई कि निगम आयोग में प्रकरण विचाराधीन होते हुए भी बडे बकायादारों में होटल मालिकों, हॉस्पीटल व स्कूल मालिकों तथा मैरिज गार्डन संचालकों से राशि वसूल करेंगे व सीवर कनेक्शन काटने का निर्णय नगर निगम के बोर्ड ने पारित कर दिया है।

आयोग द्वारा उसी दिनांक 13.02.2017 को पुनः विस्तृत आदेश पारित कर नगर निगम, जयपुर का ध्यान निम्नलिखित तथ्यों की ओर निम्न प्रकार से आकर्षित किया–

"समाचार पत्र में छपे तथ्य के अनुसार बडे बकायादारों में होटल मालिक, हॉस्पिटल, स्कूल मालिक, और मैरिज गार्डन के संचालक हैं। होटल व हॉस्पीटल में निवास करने वाले कर अदायगी के चूककर्ता नहीं हैं। कर अदायगी में चूक होटल मालिक व अस्पताल मालिक द्वारा की गई है, सजा होटल में आकर एक–दो दिन के लिए रहने वाले व्यक्तियों तथा अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों को सीधे तौर पर किस आधार पर दी जा सकती है? यह निगम से जानना अति आवश्यक है। किस प्रकार से होटल मालिक व अस्पताल के मालिक कर अदायगी के चूककर्ता हैं, इसकी जानकारी होटल में रहने आये व अस्पताल में भर्ती होने आये मरीजों या उनके परिजनों की जानकारी में है? इन कर अदायगी के चूककर्ताओं के बैंक खाते, फर्नीचर, बसें, कारें ही नहीं बल्कि सम्पत्ति कुर्क कर रिसिवर भी नियुक्त करवाये जा सकते हैं।"

आदेश दिनांक 13.02.2017 से नगर निगम से 06 विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर आयोग को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था।

आयोग का मत था कि सीवरेज कनेक्शन किसी भी व्यक्ति का किसी भी कारण से व न सिर्फ टैक्स अथवा अन्य राशि, बल्कि किसी भी अपराध के बावजूद नहीं काटे जा सकते हैं।

प्रथम दृष्ट्या टॉयलेट व लेट्रीन की सुविधा से किसी को भी वंचित करना अमानवीय है और अगर ऐसा करने की अनुमति भी कोई कानून देता है तो मानव अधिकार आयोग अपना यह कर्तव्य समझता है कि ऐसे कानून पर पुनर्विचार कर तत्काल विलोपित किया जावे, परन्तु इस प्रथम दृष्ट्या विचार पर नगर निगम, जयपुर को सुना जाना आवश्यक होने से नगर निगम को पक्ष रखने हेतु आदेश की प्रतियां व नोटिस जारी किये गये।

नगर निगम द्वारा एक तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 28.02.2017 आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई।

तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान म्युनिसिपल्टीज (लेण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स) नियम, 1961, राजस्थान नगर पालिका (गृहकर) नियम, 2003 के अनुसार जयपुर नगर निगम क्षेत्र में गृहकर वित्तीय वर्ष 2003–04 से लागू है तथा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय विकास कर) नियम, 2007 के अनुसार नगरीय विकास कर वित्तीय वर्ष 2007–08 से लागू है। निगम के

नगरीय विकास कर वसूली सम्बन्धी प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय 07 की धारा 140 से बताये गये हैं।

अतः कर लगाने का अधिकार नगर पालिका व नगर निगम में कानून द्वारा दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु प्रावधान नगर पालिका अधिनियम, 2009 में दिया हुआ है। आयोग के प्रश्न के उत्तर में नगर निगम द्वारा बिना किसी हिचक के इस सच्चाई को स्वीकार किया गया कि उपर्युक्त कर राशि वसूल नहीं करने के कारण से किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को दण्डित नहीं किया गया है। यही नहीं जयपुर नगर निगम में वर्तमान में कर वसूली से सम्बन्धित किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। आयोग इन तथ्यों को सिर्फ भविष्य में शिक्षा लेने के लिए प्रयोग करना चाहता है व सिर्फ पुरानी कमियों के बारे में अधिक टिप्पणी करने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझता है ताकि धरातल पर पिछले व पुराने रोने की जगह दृढता से गलतियों को सुधारने के लिए पूर्व की गलतियों से शिक्षा प्राप्त की जा सके। पूर्व में की गई गलतियों से नगर निगम लगभग 600 करोड रूपये की विकास के लिए कानून द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि जो मात्र एक शहर के लिए है, वसूल नहीं कर सका है। यह राशि वसूल नहीं होने का जिम्मा मात्र अधीनस्थ कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि मात्र अधिकारियों पर भी नहीं डाली जा सकती है, क्योंकि नगर निगम व अन्य स्थानीय निकायों की राशियां वसूल नहीं होने का कारण आम जनता को मालूम है। आयोग स्पष्ट रूप से अंकित करता है कि इसका कारण भ्रष्टाचार भी है और उससे कम गम्भीर सच्चाई नहीं है कि वसूली को ऊपरी दबाव से रोका जाता है। ये तथ्य समाचार पत्रों द्वारा भी प्रकाशित किये जाते हैं और उसके लिए किसी पुराने उदाहरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आज के समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार सही है कि मैरिज पैलेस सील किसी और कारण से किया गया व खोला गया किसी और कारण से तथा वह भी टेलिफोनिक आदेश से। पुनश्च आयोग इन व्यवस्थाओं व अव्यवस्थाओं से प्रभावित हुए बगैर नगर निगम से उम्मीद करता है कि जब नगर निगम ने कर (जनधन) वसूली का बीडा उठाया है तो कानून की पालना करते हुए सुदृढता से कानून को सर्वोपरी मानते हुए कानून के निर्देशों की पालना करें।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 130 व उसके पश्चातवर्ती प्रावधानों से न सिर्फ अचल सम्पत्ति, बल्कि चल सम्पत्ति से भी वसूली की जा सकती है। किस प्रकार से वसूली की जायेगी इस हेतु बने हुए प्रावधानों में कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से नगर निगम

इस प्रावधान का उपयोग कर तत्काल बकाया राशि वसूल कर सकता है व इसके पश्चात सम्पत्ति की कुर्की व विक्रय सम्बन्धी धारा 135 के प्रावधान भी स्पष्ट हैं।

सन् 2009 के अधिनियम से पूर्व के नगर पालिका अधिनियम में भी यही प्रावधान रहे हैं। इन्हीं कारणों से आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.02.2017 में स्पष्ट टिप्पणी की कि निगम चाहे तो कर वसूली के लिए अन्य तरीके जो कानूनन निगम को उपलब्ध हैं उसके अनुसार कर उचित कदम उठा सकेगा। श्री विनोद पुरोहित, उपायुक्त राजस्व, नगर निगम, जयपुर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जयपुर नगर निगम द्वारा उन्हीं कानूनी प्रावधानों के तहत कर वसूली हेतु अथक प्रयत्न किये जा रहे हैं, परन्तु कुल नगरीय विकास कर 594.75 करोड रूपये के मुकाबले अब तक मात्र 30.56 करोड रूपये की राशि वसूल हुई है जो लक्ष्य का मात्र 05.14 प्रतिशत ही है। यह राशि भी जब वसूल हो सकी है जबकि राज्य सरकार द्वारा पेनल्टी एवं ब्याज में शत-प्रतिशत की छूट दी हुई है।

जहां तक इस प्रकरण का मूल बिन्दू है कि क्या जयपुर नगर निगम कर अदायगी के चूककर्ताओं के सीवरेज कनेक्शन बन्द या जाम कर सकता है, उपायुक्त राजस्व, जयपुर नगर निगम द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में नगर निगम के बोर्ड द्वारा एक निर्णय लिया गया है, परन्तु उस पर अभी कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हुई है।

नगर निगम के जवाब तथा निगम अधिकारी को सुनने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि सीवरेज कनेक्शन काटे जाने हेतु निगम को अधिकृत किये जाने हेतु कोई कानूनी प्रावधान नहीं है तथा निगम द्वारा जो अग्रिम कार्यवाही की गई है उससे भी स्पष्ट है कि निगम द्वारा सीवरेज करनेक्शन काटने हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किये गये हैं।

उपर्युक्त तथ्यों के अलावा यह उल्लेखनीय है कि निगम के जवाब में आयोग के आदेश दिनांक 10.02.2017 व 13.02.2017 में उठाये गये बिन्दुओं पर कोई जवाब नहीं है, परन्तु आज पत्रावली पर जो तथ्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार सीवरेज कनेक्शन काटने या जाम किये जाने हेतु कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और न ही निगम द्वारा इस हेतु प्रयास किया गया।

निगम का सीवरेज कनेक्शन काटने के पक्ष में तथा इसकी व्यवहारिकता व क्या इसकी पालना सम्भव है, के बारे में कोई भी जवाब नहीं है।

जयपुर नगर निगम अगर अपने पूर्व के निर्णय को कानूनी रूप देना चाहता है व इस प्रक्रिया को अपनाना चाहता है तो नगर निगम, जयपुर उक्त कार्यवाही से पूर्व आयोग में पूर्व के आदेशों व इस आदेश में की गई टिप्पणियों पर अपना पक्ष रखेगा। आगामी आदेश तक सीवरेज कनेक्शन नहीं काटे जायेंगे। आदेश प्रभावी रहेगा।

आदेश की प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ व आयुक्त, नगर निगम, जयपुर को प्रेषित की जावे।

जयपुर नगर निगम स्पष्ट करें कि नगर निगम अपने प्रस्ताव सीवरेज कनेक्शन बन्द करने के निर्णय की पालना में क्या कार्यवाही करना चाहता है।

पत्रावली दिनांक 27.04.2017 को पेश हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया)

अध्यक्ष